

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
30 प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2020

विषय: सिंचाई विभाग में संचालित पम्प/लिफ्ट नहरों, सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली विद्युत मूल्य का वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम भुगतान/साख सीमा निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 के पत्र संख्या-218/आई0बी0/विद्युत ऊर्जा/2020-21, दिनांक 03-06-2020 एवं शासनादेश संख्या-59/2020/632/20-27-9-146एसएवी/93, दिनांक 06.05.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग में संचालित पम्प/लिफ्ट नहरों, सरकारी नलकूपों पर उपभोग किये जाने वाली विद्युत मूल्य के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹0 3000.00 करोड़ शासनादेश सं0-58/2020/587/20-27-सिं-9-21एसएवी/20, दिनांक 24-04-2020 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी है। विषयांकित प्रयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास हेतु विद्युत देय मद में ₹0 5000.00 लाख अग्रिम भुगतान हेतु एवं ₹0 25000.00 लाख सत्यापित बीजकों हेतु, कुल धनराशि ₹0 30000.00 लाख (रूपये तीन अरब मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को भुगतान किये जाने की निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

1-	विद्युत ऊर्जा (पम्प नहरों हेतु)	₹0 50.00 करोड़
2-	उत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु	₹0 20.00 करोड़
3-	सरकारी नलकूपों हेतु	₹0 230.00 करोड़

योग : ₹0 300.00 करोड़

- (1) यदि किन्हीं कारणोंवश पिछले माह के बिलों/देयों का सत्यापन/समायोजन नहीं हो पाता है, तो इसके आधार पर धनराशि रोकी नहीं जायेगी परन्तु उक्त सत्यापन/समायोजन न होने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- (2) विभाग वास्तविक बिलों के भुगतान का सत्यापन ऊर्जा विभाग द्वारा करा लिया जायेगा व रेज (raise) किये गये बिलों का माहवार संकलित विवरण अगली किश्त की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित करते समय उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम धनराशि के आहरण के पूर्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इस प्रयोजन हेतु पूर्व में आहरित अग्रिम/अग्रिमों का नियमानुसार समायोजन हो चुका है।

--2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30प्र0 पावर कारपोर लि0 को अग्रिम रूप में किये गये भुगतान के सापेक्ष किये गये सत्यापन/समायोजन की सूचना शासन को 15 दिन के भीतर अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (5) उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के सिंचाई विभाग के आय-व्ययक की अनुदान सं0-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखा शीर्षक-2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई - 80- सामान्य -800- अन्य व्यय-09 विद्युत ऊर्जा (पम्प नहरों हेतु)- 09विद्युत देय, लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-03-रख-रखाव-102-उत्थान सिंचाई योजनायें-03-अन्य रख-रखाव व्यय-09-विद्युत देय एवं लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-03-रख-रखाव-103-नलकूप-03-अन्य रख-रखाव व्यय-09-विद्युत देय के नामे डाला जायेगा।

- 1- उक्त के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु लेखाशीर्षकों में मांगी गयी कुल धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा 30 जून, 2020 तक निर्गत करने की स्वीकृति/सहमति प्रदान की जाती है।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-1200-दस/2020, दिनांक 26 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी-2), 30प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5. प्रबंध निदेशक, 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।